न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 139/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 14.6.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. छोटूलाल आत्मज मोहन
2. रामरतन आत्मज मोहन
3. सोभागी पुत्री मोहन
4. रामकन्या पुत्री मोहन
5. रामप्रसाद आत्मल सोराज
6. रामेश्वर आत्मज सोराज
7. रामसहाय आत्म्ज सोराज
8. केसी बाई पत्नि सोराज
9. आशा पुत्री सोराज

जातियान मीणा निवासी काबरी तहसील हिण्डोली जिला बूदी–राज0।

...अपीलांट्स

बनाम

1. रामकुंवार आत्मज मन्साराम जाति मीणा निवासी काबरी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी–राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक–अपीलांट्स

::निर्णय::

दिनांक 18.6.2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 166/प्रा0पत्र/2019 बउनवान रामकुंवार बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली मे पारित निर्णय दिनांक 6.8.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 रामकुंवार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर खाता सं0 101 खसरा नम्बर 3175/3009 रकबा 5 बीधा वाके ग्राम मालियो की झोपडियां पटवार हल्का पंगारा मे नाम मोहन वल्द रामचन्द्र एंव खाता सं0 74 खसरा नं0 160 रकबा 2 बीघा 14 बिसवा ख0 सं0 161 रकबा 4 बीघा ख0 सं0 162 रकबा 2 बीधा 9 बिस्वा, ख0 सं0 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ख0 सं0 592 रकबा 18 बिस्वा ख0 सं0 895 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 8 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम काबरी पटवार हल्का रोशन्दा मे मनस्या वल्द रामचन्द्र है जिसे विलोपित कर रेस्पो0 के पिता का सही नाम मन्शाराम वल्द रामचन्द्र कौम मीणा दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 6.8.21 से स्वीकार कर उक्त वर्णित खाता सं0 101 ग्राम मालियो की झोंपडिया मे दर्ज मोहन वल्द रामचन्द्र व खाता सं0 74 ग्राम काबरी मे दर्ज मनस्या वल्द

अति. आयुक्त
कोटा

रामचन्द्र के स्थान पर मंन्शाराम वल्द रामचन्द्र कौम मीणा राजस्व रिकार्ड मे अंकंन किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये अपीला पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ अपील इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि ख0सं0 3175/3009 रकबा 5 बीधा ग्राम मालियां की झौपडिया पटवार मण्डल पगारा मे स्थित भूमि के खातेदार मोहन आ0 रामचन्द्र की मृत्यु हो गई है अपीलांट्स मोहन के वारिसान है। खाता सं0 101 की उक्त भूमि व ग्राम काबरी मे खाता सं0 122 खसरा से0 688, 689, 690, 691 कुल 4 किता रकबा 2.6143 है0 है ग्राम काबरी की उपरोक्त भूमि मे अपीलांट्स के नाम विरासत का नामा0 464 दिनांक 5.4.21 को दर्ज हो चुका है ग्राम मालियों की झोपडियां खाता सं0 101 मे अभी विरासत का नामा0 दर्ज नही हुआ। ग्राम मालियों की झोपडिया की भूमि ख0 सं0 3175/3009 के खातेदार अपीलांट्स के पिता व दादा मोहन आ0 रामचन्द्र के खातेदारी मे दर्ज है जिस पर अपीलांट काबिज है। लेकिन उक्त भूमि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दादा व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करने का आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना व पक्षकार बनाये बिना विधि विरूद्ध नियमो की अनदेखी कर पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 6.8.21 निरस्त किया जाकर ग्राम मालियो की झोपडिया की भूमि ख0 सं0 3175/3009 के राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति खातेदार का नाम मोहन आ0 रामचन्द्र रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 को जरिये रजि0 ए0डी0 नोटिस से आहूत किया गया किन्तु रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर उसकी तामील पूर्ण मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ख0सं0 3175/3009 रकबा 5 बीधा ग्राम मालियां की झौपडिया पटवार मण्डल पगारा मे स्थित भूमि के खातेदार मोहन आ0 रामचन्द्र की मृत्यु हो गई है अपीलांट्स मोहन के वारिसान है। खाता सं0 101 की उक्त भूमि व ग्राम काबरी मे खाता सं0 122 खसरा से0 688, 689, 690, 691 कुल 4 किता रकबा 2.6143 है0 है ग्राम काबरी की उपरोक्त भूमि मे अपीलांट्स के नाम विरासत का नामा0 464 दिनांक 5.4.21 को दर्ज हो चुका है ग्राम मालियों की झोपडिया की भूमि ख0 सं0 3175/3009 के खातेदार अपीलांट्स के पिता व दादा मोहन आ0 रामचन्द्र के खातेदारी मे दर्ज है जिस पर अपीलांट काबिज है। लेकिन उक्त भूमि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दादा व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करने का आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना व पक्षकार बनाये बिना विधि विरूद्ध नियमो की अनदेखी कर पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया

4 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने व डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को निर्णित किया जाना न्यायोचित हैं। चूंकि जेरअपील आदेश अपीलाटस को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया अपीलांट प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी किया जाकर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर न्यायहित मे अपील को अवधि मध्य माना जाता है। आलोच्य जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 रामकुवार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का खाता सं0 101 खसरा नम्बर 3175/3009 रकबा 5 बीधा वाके ग्राम मालियो की झोपडियां पटवार हल्का पंगारा मे नाम मोहन वल्द रामचन्द्र एंव खाता सं0 74 खसरा नं0 160 रकबा 2 बीघा 14 बिसवा ख0 सं0 161 रकबा 4 बीघा ख0 सं0 162 रकबा 2 बीधा 9 बिस्वा, ख0 सं0 503

अति. सं. आयुक्त
कोटा

रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ख0 सं0 592 रकबा 18 बिस्वा ख0 सं0 895 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 8 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम काबरी पटवार हल्का रोशन्दा मे मनस्या वल्द रामचन्द्र है जिसे विलोपित कर रेस्पो0 के पिता का सही नाम मन्शाराम वल्द रामचन्द्र कौम मीणा दर्ज किये जाने का पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 6.8.21 से स्वीकार कर उक्त वर्णित खाता सं0 101 ग्राम मालियो की झोंपडिया मे दर्ज मोहन वल्द रामचन्द्र व खाता सं0 74 ग्राम काबरी मे दर्ज मनस्या मनस्या वल्द रामचन्द्र के स्थान पर मंन्शाराम वल्द रामचन्द्र कौम मीणा राजस्व रिकार्ड मे अंकंन किये जाने के आदेश दिये गये। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि ख0सं0 3175/3009 रकबा 5 बीधा ग्राम मालियां की झौपडिया पटवार मण्डल पगारा मे स्थित भूमि के खातेदार मोहन आ0 रामचन्द्र की मृत्यु हो गई है अपीलांट्स मोहन के वारिसान है। खाता सं0 101 की उक्त भूमि व ग्राम काबरी मे खाता सं0 122 खसरा से0 688, 689, 690, 691 कुल 4 किता रकबा 2.6143 है0 स्थित है। ग्राम काबरी की उपरोक्त भूमि मे अपीलांट्स के नाम विरासत का नामा0 464 दिनांक 5.4.21 को दर्ज हो चुका है ग्राम मालियों की झोपडिया की भूमि ख0 सं0 3175/3009 के खातेदार अपीलांट्स के पिता व दादा मोहन आ0 रामचन्द्र के खातेदारी मे दर्ज है जिस पर अपीलांट काबिज है। लेकिन उक्त भूमि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दादा व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करने का आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना व पक्षकार बनाये बिना विधि विरूद्ध नियमो की अनदेखी कर पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलांट्स के उपरोक्त तर्क के संबध मे जेरअपील आदेश दिनांक 6.8.21 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आलौच्य जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाटस को प्रकरण मे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 6.8.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को, अपीलांट्स को प्रकरण मे विधिवत पक्षकार बनाया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वादग्रस्त आराजी ख0सं0 3175/3009 रकबा 5 बीधा ग्राम मालियां की झौपडिया पटवार मण्डल पगारा के खातेदार मोहन आ0 रामचन्द्र के वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

5 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा